

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18082020-221189
SG-DL-E-18082020-221189

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 100
No. 158]	DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SRAVANA 26, 1942	[N. C. T. D. No. 100

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2020

पार्ट फाईल (2)डीएचई (9)(1) डीएसयू/2015-16/585.-दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 (2020 का दिल्ली अधिनियम 1) की धारा 3 उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि 15 अगस्त 2020 निश्चित करते हैं। जिससे उपरोक्त अधिनियम लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (उच्च शिक्षा)

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 14th August, 2020

Pt.File (2) DHE (9) (1) /DSU/2015-16/585.—In exercise of the powers conferred under sub-Section (i) of Section 3 of the Delhi Sports University Act, 2019, (DELHI ACT 01 of 2020), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 15th August 2020 as the date on which the University by the name of Delhi Sports University, shall come into force.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Higher Education)